कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कैसल
शिमला - 171 003

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Office of the Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh,
Gorton Castle, Shimla-171 003

परिपत्र (प्रशासन)

विषय: **जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना (Self enumeration) संबंधी जानकारी के प्रसार एवं आवश्यक कार्यवाही के संबंध में।**

निदेशक, जनगणना संचालन, हिमाचल प्रदेश के अर्धशासकीय पत्र संख्या D.C.O.H.P.-39/2019 दिनांक 26.05.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा जनगणना-2027 का प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) हिमाचल प्रदेश में 16.06.2026 से 15.07.2026 तक आयोजित किया जाना है।

इसके पूर्व, हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को पहली बार **01.06.2026 से 15.06.2026** तक स्व-गणना (Self enumeration) की सुविधा प्रदान की गई है। इस उद्देश्य हेतु **se.census.gov.in** पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्व-गणना पूर्ण होने पर एक विशिष्ट 11 अंको का **SE ID** जारी होगा , जिसका उपयोग गणनाकर्मी द्वारा सत्यापन हेतु किया जाएगा। स्व-गणना प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर **1855** भी उपलब्ध है।

उपरोक्त के दृष्टिगत कार्यालय के समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे—

1. *se.census.gov.in* पोर्टल पर जाकर अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की स्व-गणना 15.06.2026 तक समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें।
2. स्व-गणना प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई अथवा सहायता की आवश्यकता होने पर हेल्पलाइन नंबर 1855 का उपयोग करें।
3. उक्त जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों, मित्रों एवं अन्य परिचितों को भी स्व-गणना हेतु प्रेरित करें।
4. जनगणना 2027 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जन-जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन से जारी है।

Digitally signed by
Rakesh Bhan
Date: 05-06-2026
18:28:05

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

क्रमांक :प्रशासन/ले०प०/ जनगणना-2027/2026-27/I/1465662/2026 दिनांक: 05-06-2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार।
2. निजी सहायक, उप महालेखाकार (प्रशासन)।
3. कार्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को ई-मेल के माध्यम से।